<u>भाषाओं की सैवंधानिक स्थिति</u>

भाषाओं की स्थिति संविधान की धारा 343-351,350

<u>भाषाओं की स्थिति</u>

भाषा से केवल विचार-संप्रेषण ही नहीं होता, इसमें देश के इतिहास की गाथाएं है जिससे संस्कृति का पता चलता है और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का एक मात्र माध्यम भाषा ही है। भारत में लगभग 1800 भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है। हिन्दी सरल एवं लोक प्रिय भाषा होने के कारण अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाती है। यह पूरे भारत में प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सहयोगी रही है। स्वतन्त्रता से पूर्व एवं बाद में भी यह एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। आज अहिन्दी भाषी प्रदेश हिन्दी की महत्ता को स्वीकार के उसको अपनाने लगे हैं। भारत भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतन्त्र को मजबूती प्रदान करने का काम हिन्दी द्वारा हुआ है। संविधान में भारतीय 22 भाषाओं को राष्ट्र भाषा माना गया है।

<u>संविधान की आठवी अनुसूची में उल्लेख</u>

संविधान 22 भाषाएं निम्नलिखित है।

असमिया	उड़िया
उर्द	कश्मीरी
गुजराती	तमिल
तेलुगु	पंजाबी
बंगला	नेपाली
मणिपुरी	संथाली
बोडो	कन्नडऋ

KNOWLEDGE IS VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

मराठी मलयालम

संस्कृत सिन्धी

हिन्दी कोकणी

मैथिल डोगरी

प्रारूप संविधान की अनुसूची में 14 भाषाएं थी ।1967 में संविधान के 21 वे संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया। सन 1992 में 71 वे संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी इसी में शामिल किया गया। 22/12/2003 को 100 वें संशोधन द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पर इन भाषाओं में से केवल हिन्दी ही राष्ट्रव्यापी महत्व प्राप्त कर पाई है भारत में प्रमुख भाषा के रूप में बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान, दिल्ली में हिन्दी अपना अस्तित्व बनाये है। शेष राज्यों में वहां के राज्यों की भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है।

KNOWLEDGE IS VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

<u>राजभाषा से अभिप्रायः</u>

शासन के राजकीय कार्य के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राज्यभाषा कहा जाता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् लगभग सभी राष्ट्रध्वजा वाहकों ने यह मांग की हिन्दी को ही सरकारी काम काज की भाषा बनाया जाए। गठित संविधान सभा में काफी विचारविमर्श ने पश्चात् 14 सितम्बर 1949 को यह फैसला हुआ कि राष्ट्रीय स्तर हिन्दी को संघ के कार्य में प्रयोग होने वाली राज भाषा बनाया जाए और यह भी व्यवस्था की गई कि राज्यों की विधान समएँ एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को, या हिन्दी का राजभाषा बना सकती है।

संवधानिक धाराओं (अनुच्छेद- 343-351) का संक्षिप्त विवरण

भारतीय संविधान में राजभाषा सम्बन्धी उपबंध 17वें भाग में है। इस भाग के चार अध्याय है, जिनमें 343 से 351 तक अनुच्छेद है। एक अध्याय के अनुच्छेद भी 120 एंव 210 भाषा से ही संबंधित है।

1.**पहला अध्याय** 343 और 344 अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है।

2.दूसरा अध्याय : अनुच्छेद सं. 345,346 और 347 हैं, जो राज्यों की राजभाषा औ राज्यों तथा संघ के बीच संचार के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा तथा किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी दल द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित है।

3. तीसरा अध्याय अनुच्छेद सं. 348 और 349 हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध दृष्टव्य है।

4. चौथा अध्याय: अनुच्छेद सं. 350 और 351 है जो अनु 350 में सरकारी अधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने वाली रिर्पोट में प्रयुक्त भाषा तथा प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा माध्यम की सुविधा से संबंधित है तथा अनु० 351 में हिन्दी भाषा के विकास को लेकर उपबंध दृष्टव्य है।

जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा में राजभाषा संबंधी प्रावधानों के विषय में 12, 13, 14 सितम्बर, 1949 को चर्चा की गई। और इस चर्चा में जितना ही हिन्दी के लिए हिन्दी भाषी प्रदेश के चयनित संविधान सभा के सदस्य पक्ष ले रहे उतना ही अहिन्दी भाषी प्रदेश के सदस्य भी इसके पक्ष में मतदान दे रहे थे काफी वाद-विवाद व चर्चा के बाद हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। इन अनुच्छेदों में दर्ज महत्वपूर्ण बातों का विवरण निम्नुसार है।

1. अनुच्छेद 343

_संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी होगी और संघ के सरकारी कामों के लिए भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा।

_343 (2) में यह प्रावधान है कि पन्द्रह वर्ष की अवधि में संविधान के लागू होने तक राष्ट्रपति अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भाषा के प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं।

_343 (3) के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया एक अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी सूरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में प्रावधान हो सके इस प्रावधान के अनुसार राज भाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया।

KNOWLEDGE IS VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

_**अनुच्छेद 344** - इस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष के समाप्त होने तथा (अर्थात् 26 जनवरी, 1955 तक) तथा 10 वर्ष के खत्म होने पर राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा राजभाषा आयोग गठित करेंगे। इस आयोग में विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य व एक अध्यक्ष होगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा ही चयन किये जाएंगे। आयोग को भी अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार 1955 में आयोग का गठन हुआ। उस द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू किया गया।

_344 (4) इस में यह प्रावधान है कि प्रथम तीस सदस्यों की सीमति (20 लोकसभा तथा 10 राजसभा) आयोग की सिफारिशों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को समर्पित करेगी।

_अनुच्छेद 345: इस में यह प्रावधान रखा गया कि किसी राज्य का विधानमण्डल कानून द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा या हिन्दी को उस राज्य के शासकीय काम के लिए स्वीकार करेगा पर जब तक यह विधि से पारित नहीं बनता तब तक पूर्व की भाँति अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता रहेगा।

_**अनुच्छेद 346**: इस में यह प्रावधान किया गया है दो राज्यों के बीच या संघ और किसी राज्य के बीच पत्रादि के लिए उस समय प्राधिकृत राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा।

_**अनुच्छेद 347**: इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है राज्य के किसी दल द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मांग होने पर भाषा को उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में राष्ट्रपति मान्यता प्रदान कर सकते हैं।

_**अनुच्छेद 348;** इस अनुच्छेद में यह प्रावधान रक्खा गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयोंकी कार्य-वहिया के साथ-साथ सदन के अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत है।

इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिन्दी अथवा राज्य के सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेंगे।

_**अनुच्छेद-349 :** इस में भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

_**अनुच्छेद-350** इस अनुच्छेद अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन (आवेदन) देने का अधिकार है।

_**अनुच्छेद-351**: इस अनुच्छेद में हिन्दी के विकास के प्रति केन्द्र सरकार की दायित्व की व्यवस्था है कि वह हिन्दी का प्रचार-प्रसार करें ताकि देश की संस्कृति से लोग अवगत हो. शब्द निर्माण व अन्य हिन्दी के विकास की योजनाओं से वृद्धि के प्रावधानों का उल्लेख किया है।

_**अनुच्छेद-120**: इस अनुच्छेद में यह प्रावधान रक्ख गया कि भाग 17वें में से किसी बात के होते हुए भी. किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में वा अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता. अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है।

_**अनुच्छेद- 210**: इस अनुच्छेद अनुसार भाग 17वें में किसी बात के होते हुए भी. किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडलों में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता. अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित कर सकता है (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है)।

भाषा सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धियां

अनुच्छेद 344 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारम्भ से 5 वर्ष की समाप्ति और उसके ऐसे प्रारम्भ से 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेंगे। तद्नुसार 1955 में मुम्बई के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी. सी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित किया गया। आयोग ने जो सिफारिशें की उसकी समीक्षा के लिए 30 सदस्य समिति का गठन किया गया।

_समिति ने निर्धारित तिथि तक हिन्दी की वांछित योग्यता हासिल न करने के लिए दंड व्यवस्था संबंधी आयोग के सुझाव को नहीं माना। प्रोत्साहन और इनाम देने प्रस्ताव पर भी असहमति जताई।

_उच्चतर सेवाओं के अधिकारियों के लिए हिन्दी के इलावा दूसरी भारतीय भाषा तथा तीसरी अंग्रेजी का समर्थन किया।

_ राजभाषा अधिनियम 1963 प्रस्तुत हुआ अहिन्दी भाषी राज्यों में असन्तुष्टता छा गई।

इस का काफी विरोध हुआ।

_1967 में राजभाषा के संकल्प को दोहराया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 को ही 1967 में संशोधित किया गया।

_केन्द्रीय सरकार के दायित्व हिन्दी का प्रचार-प्रसार को राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम के द्वारा एक वर्ष में हिन्दी में काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

_18 जनवरी, 1968 को राजभाषा संकल्प भी पारित किया गया।

संसद ने इस संकल्प द्वारा निम्न प्रकार से पुरावृत्ति की है।

S.D. COLLEGE OF EDUCATION, BNL.
KNOWLEDGE
VISION SUPREME
ज्ञान चक्षुर्मनुष्याणाम

1.राजभाषा के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने तथा उसका मूल्यांकन

2. आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को अधिक समृद्ध बनाने और उनका विकास करें।

3. राष्ट्रीय एकता के लिए त्रिभाषी फार्मूला लागू करना।

4. भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी की अनिवार्यता करने तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाने के लिए संघ सरकार को निर्देश ।

डा. सुरेन्द्रशर्मा ने अपनी पुस्तक राजभाषा हिन्दी में लिखा है- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने ये नियम बनाए है- इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)नियम 1976 है।

इन नियमों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है:

1. संघ के शासकीय काम के लिए राजभाषा नियम सम्पूर्ण भारत में नहीं क्योंकि तमिलनाडु राज्य इस परीधि में नहीं है। ये नियमों को केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों समितियों, आयोगों, उपक्रमों बैंकों पर लागू होंगे।

2. भारत को उन्होंने तीन भाग क, ख, ग में बाँटा ‘क के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश. बिहार,

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह है। ख भाग में गुजरात महाराष्ट्र,पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा ग' में अन्य राज्य के साथ तथा संघ राज्य प्रदेश है।

3. इन क्षेत्रों के साथ हिन्दी पत्राचार करने के निर्देश हैं।

4. वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ही राजभाषा हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं। 2008-09 के अनुसार क्षेत्र क एवं ख क्षेत्र के साथ पत्राचार के 100% और ग के लिए 65% लक्ष्य रखा गया है।अनुवाद की स्थिति में पत्र प्राप्त कार्यालय द्वारा ही अनुवाद करवाया जाएगा पर ग क्षेत्र के लिए अनुवाद सहित भेजने की आवश्यकता है।

_हिन्दी में प्राप्त पत्रों से उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएँगे।

_राजभाषा अधिनियम की धारा में दर्ज सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी व हिन्दी द्विभाषी जारी किया जाएगा।
_कोई भी कर्मचारी, आवेदन, अपील भी दोनों भाषा (अग्रेजी या हिन्दी में दे सकताहै। परन्तु हस्ताक्षर हिन्दी में किए गए है तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा।

_कोई भी कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

_हिन्दी माध्यम से मैट्रिक या उच्चतर परीक्षा पास करने या स्नातक परीक्षा में हिन्दी को अन्य विषय केतौर पर पढ़ा है। तो उस कर्मचारी को हिन्दी में प्रवीन माना जाएगा।

_यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उच्चतर परीक्षा हिन्दी के साथ हिन्दी शिक्षण योजना

की परीक्षा पास की है तो यह माना जाएगा कि उसे हिन्दी का कार्यसाधक अनुसार ज्ञान प्राप्त है। ऐसे कार्य साधकों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएगे।

_कुछ मद जैसे संहिताएँ, रजिस्टर के प्रारूप और विषय / शीर्षक, नामपट्ट, मैनुअल सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष, रबड़ की मोहरे, बैनर, बैज, बोर्ड (साईन, नोटिस) निमन्त्रण पत्र द्विभाषी (अंग्रेजी व हिन्दी में होगी। लेकिन अहिन्दी भाषी में त्रिभाषी नामपट्ट एवं साइन बोर्ड होगे।

_प्रत्येक प्रशासनिक प्रमुख का उत्तरदायित्व है कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा नीति नियमों के अनुपालन को निश्चित करें उसके निरिक्षण से प्रभावी जांच के लिए उपाय करें।

उपर्युक्त राजभाषा नीति नियमों से ज्ञात लगता है जो लक्ष्य निर्धारण तथा अन्य नियमों की कार्यान्वयन के लिए कार्यालयों के प्रमुख को उत्तरदायित्वता से राजभाषा संबंधी आदेशों को लागू करने में मुश्किल नहीं आएगी। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है। जनवरी, 1976 में एक स्थाई संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है यह समिति हिन्दी के प्रयोजन की कई प्रगति का पुर्नविलोकन करती है उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को उसकी रिपोर्ट भेजती है।

उपर्युक्त संवैधानिक एवं सरकारी प्रयासों के बावजूद भी हिन्दी केन्द्रीय कार्यालयों में लागू नहीं हो पाई।क्योंकि यह अधिकारियों के पत्राचार की भाषा नहीं बनी है यह अनुवाद की भाषा है इसमें अधिकारियों की मानसिकता बहुत बड़ा कारण है। सरकारी कार्यालयों में स्थानों में, समाज में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले को बुद्धिमान समझा जाता है। इसका प्रयोग करने में गर्व महसूस करते है हिन्दी के नए प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्द निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है परन्तु आज हिन्दी शब्दों के सरलीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

कोठारी शिक्षा कमीशन-1964-66

भारतीय शिक्षा के इतिहास में कोठारी शिक्षा आयोग का बहुत महत्व रहा है। आयोग ने इसमें लगभग सभी शिक्षा के पहलुओं पर विचार किया है। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा के ऐसे कई पक्ष थे जिन पर विचार करना जरूरी था क्यों कि शिक्षा परिवर्तन किए बिना, भारतीय शैक्षिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकते थे। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 अस्तित्व में आया।

जब इस कमीशन को डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया उस समय की वर्तमान शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इससे पहले भी कमीशन और समितियों का गठन हुआ था। परन्तु शिक्षा में विकास न देखा जा सका और उस समय विज्ञान एवं अन्य के क्षेत्रों में ज्ञान का विस्फोट भी हो रहा था।

आवश्यकता थी एक नए कर्नीशन को स्थापित करने की जो शिक्षा के हर स्तर को सूक्ष्मता से अवलोकन करे और एक ऐसे सुझाव दे जो आने वाले समय में सार्थक रहें। इस आयोग द्वारा निर्धारित सिफारिशों 20 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में कारगार रही है। आज भी इस आयोग द्वारा ही कुछ सिफारिशें शिक्षा के विकास में योगदान डाल रही है।

<u>मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है</u>

1. शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना।

2. देश की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता ।

3. शिक्षा का आधुनिकीकरण से सम्बन्ध ।

4. मूल्यों का विकास।

5. शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी सिफारिशें दी जो धिनिम्न प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च

स्तरीय शिक्षा में परिवर्तन से जुड़ी थी। हमें विशेषतः भाषा के दृष्टिकोण से इस आयोग को यहां

समझना है।

<u>विभिन्न स्तर पर भाषा तथा अन्य विषय के संदर्भ में सिफारिशः</u>

1.आयोग ने निम्न प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को

निर्धारित करने की सिफारिश की-

_एक भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।

_गणित ।

_वातावरण शिक्षा।

_चौथी कक्षा से विज्ञान।

_सामाजिक अध्ययन ।

_क्रियात्मक कार्य (कार्य-अनुभव)

_ शारीरिक शिक्षा एवं समाज सेवी।

_माध्यम मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा

2.उच्च प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के विषय के लिए सिफारिशें

_दो भाषाएँ।

_मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा हिन्दी अथवा अंग्रजी ।

_विज्ञान, गणित ।

_सामाजिक अध्ययन।

_कार्य अनुभव इत्यादि।

3. निम्न माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के विषयों सम्बन्धी सिफारिश- तीन भाषाएँ

अहिन्दी भाषायी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित भाषाएँ थी-

_मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा।

_हिन्दी ।

_अंग्रेजी।

हिन्दी भाषायी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित भाषाएँ होगी-

_मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा

_अंग्रेजी अथवा हिन्दी ।।

_आधुनिक भारतीय भाषा।

_इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिकशास्त्र।

_गतिण, शारीरिक शिक्षा।

_कला, भौतिक शिक्षा इत्यादि ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

(क) कोई भी दो भाषाएँ-

_आधुनिक भारतीय भाषा / विदेशी भाषा ।

_साहित्यिक भाषा।

(ख) कोई तीन विषय

निम्नलिखित में से कोई तीन विषय

इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, कला, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान भू-विज्ञान, जीव-विज्ञान इत्यादि ।

भाषाओं की स्थितिः

आयोग द्वारा मुख्य भाषाओं जो विद्यार्थी के लिए अतिआवश्यक है उसके लिए त्रिभाषी सूत्र का सुझाव दिया। वह निम्नलिखित अनुसार है।

त्रिभाषायी सूत्र:

(क) हिन्दी राष्ट्रीय भाषा के रूप में: आयोग का सुझाव था कि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है। इस भाषा को भारत में लोकप्रियता मिली है। इसलिए मातृभाषा के पश्चात् इसका महत्व अधिक होना चाहिए। इसे संपर्क भाषा के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। जाना चाहिए।

(**ख) मातृभाषा का महत्वः** आयोग का सुझाव था कि मातृभाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा के ज्ञान से उसे व्यक्तित्व विकास में भी लाभ पहुँचेगा। हिन्दी का स्थान मातृभाषा की बाद ही होना चाहिए।

S.D.
S.D. COLLEGE OF EDUCATION, BNL.
KNOWLEDGE IS VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

(ग) <u>अंग्रेजी का ज्ञान</u>: अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मान्यता मिली हुई हैं। आयोग का सुझाव था कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए।

<u>तीनों भाषा के सीखने के लिए उचित शैक्षिक स्तर</u>

आयोग ने सुझाव दिया कि तीनों भाषाओं के शिक्षण के लिए निम्न माध्यमिक अवस्था ही उचित है। इस स्तर पर बच्चों का मानसिक विकास में जीवता रहती है। और उसकी ग्राह्य शक्ति तेज होती है तो तीनों भाषाओं के ज्ञान को आसानी से सीखा जा सकता है।

<u>हिन्दी और अंग्रेजी एवं ऐच्छिक भाषा को आरम्भ करने के लिए उचित स्तर कोन सा</u> ?

आयोग ने सुझाव दिया जब विद्यार्थियों को मातृभाषा की प्राथमिक स्तर में जानकारी हो जाए उनके पास पर्याप्त अनुभव हो जाए. फिर ही हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का शिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिए। त्रिभाषी सुत्र का तो आयोग ने सुझाव दिया साथ में उसमें किसी एक अन्य भाषा के ऐच्छिक रूप से पढ़ने के लिए परामर्श दिया। जिससे हर व्यक्ति मातृ भाषा का ज्ञान सीखें शिक्षा का माध्यम में प्रारम्भ में मातृ भाषा ही होना चाहिए।

क्षेत्रीय भाषा शिक्षण का सुझाव से एक राज्य के दूसरे राज्य के संपर्क बनाये रखने लिए उसने इसकीअनिर्वयिता को सुझाया और अंग्रेजी भाषा को इंटरनैशनल भाषा के रूप में महत्व होने के कारण से पढ़ने की अनिवार्यता भी घोषित की जिससे देशों के आपस में सम्बन्ध रहे। इस तरह आयोग की तरफ त्रिभाषी सुत्र एवं चौथी भाषा ऐच्छिक भाषा के रूप में पढ़ने का सुझाव भी बहुत ही सराहनीय है और सरकार ने उस समय इसको बिना शर्त स्वीकार भी कर लिया था कमीशन ने अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए सुझाव दिया कि जब बच्चों को मातृभाषा की पूर्ण जानकारी हो जाएं और उनके पास पर्याप्त अनुभव इक्ट्ठे को जाए तब हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा को प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

भाषाओं की स्थिति पी० ओ० ए० 1992

पी० ओ० ए० (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) - 1992 देश की स्वतन्त्रता से पहले 1910 में सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। उद्देश्य था, शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हो। पर 15 अगस्त सन् 1947 के पश्चात् 29 अगस्त, 1947 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा के विकास के लिए समर्पित शिक्षा विभाग बनाया गया। वर्तमान समय में मंत्रालय के पास शिक्षा के दो विभाग है।

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।

2. उच्च शिक्षा विभाग।

केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में यह कार्यलय राज्य सरकारों के सहयोग से भारत की शिक्षा के विकास पर नज़र गढ़ाए रखता है। समयानुसार नीतियों के निर्माण व उसके क्रियान्वयन पर भी कार्यरत है। आज हमारी शिक्षा 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार है। इसी नीति को 1992 में अद्यातन किया गया था।

इसे अब पी० ओ० ए० (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्री शिक्षा नीति 1986 को देश में लागू होने से पहले ही कमियों के होते हुए विरोध सामना करना पड़ा था। इस प्रकार आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में सीमित का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य था उन कमियों को दूर करना एवं शिक्षा विकास के कार्य की योजना बनाना पर सीमित ने अपनी रिपोट सकरार को प्रस्तुत ही की थी कि सरकार बदलने से फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ और जिसकी अध्यक्षता जनार्दन रेड्डी ने की थी। उन्होंने पुनः विचार-विमर्श करके अपनी रिर्पोट 1992 में केन्द्रीय सरकार को सौंपी। उस समय के मानवीय संसाधन एवं विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने 7 मई, 1992 को संशोधित शिक्षा नीति को संसद में प्रस्तुत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन का कारण शिक्षा में विकास की शीघ्र आवश्यकता है। शिक्षा नीति में परिवर्तन की अनिवार्यता से देश का विकास होगा। इस तरह 1986 की शिक्षा नीति को ही 1992 में संशोधित किया गया और इसे ही पी० ओ० 1992 कहा गया। इसमें दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं और विभिन्न शिक्षा स्तरों पर शिक्षा की विषय-वस्तुएवं प्रक्रिया के नवीनीकरण में कुछ सुधार किया गया जबकि शेष सभी विशेषताएं एवं शीर्षक राष्ट्रीयशिक्षा नीति 1986 वाले ही है।

पी० ओ० ए० 1992 अर्थात् संशोधित शिक्षा नीति में भाषाओं की स्थिति का वर्णन निम्नानुसार है-

इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में विभिन्न भाषाओं के विकास के सुझाव प्रस्तुत हुए विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान देने पर परामर्श दिया गया है। इस पी० ओ० ए० में त्रिभाषा सूत्र, क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग एवं हिन्दी अंग्रेजी के विकास पर भी सुझाव है। उसके अनुसार भाषायी एकरूपता लाने के लिए निम्न उपचार किये जाने चाहिए।

_ केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, सेन्ट्रल इन्सीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फारेन लेंगवेजज तथा सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफ इंडियन लेगवेजज़ जिन्हें क्रमशः हिन्दी अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का काम सौंपा गया है, वे संस्थाएं आपस में तालमेल बनाए।

_ सी० बी० एस० ई० एव एन० सी० आर० टी० तथा प्रत्येक राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर स्कूल स्तर पर छात्रों द्वारा भाषायी कौशल व योग्यता को हासिल करने के लिए प्रतिरूप स्थापित करे।

_तीनों ही उपर्युक्त प्रमुख संस्थाएं भाषा के विकास के लिए सस्थाएं क्रमशः हिन्दी अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं से शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को अपना मुख्य कार्य बनाएं। उनके अनुसार उनको वैसे ही कार्य करना है जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान अहिन्दी भाषी प्रदेशों से हिन्दी पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कार्य करती है।

अन्य सुझाव

1. प्राथमिक स्तरः प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है। विशेष रूप से भाषायी अल्प संख्यकों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही हो।

(I) जिस किसी क्षेत्र में कुल आबादी का 10% अल्प संख्यकों की एक ही भाषा है तो यहां एक या दो अल्पसंख्यकों की मातृभाषा के माध्यम वाली प्राथमिक शालाएँ खाली जाएं।

(ii) जहाँ अल्पसंख्यक भाषायी लोगों की कुल आबादी से उनकी आबादी 10% से कम है। वहां स्कूलों में अल्पसंख्यक भाषायी शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए परन्तु अल्पसंख्यक भाषायी छात्रों की गिनती दस होना जरूरी है।

(iii) तात्कालिक प्रभाव को देखते हुए द्विभाषीय शिक्षक इन स्कूलों में नियुक्त किए जाए।

2. माध्यमिक स्तरः

(i) जिन शहरों में अल्पसंख्यक भाषायी लोग अधिक निवास करते है यहां पर उच्चतर

माध्यमिक स्कूल जाति प्रति 8-10 प्राथमिक स्कूल के अनुपात में स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ii) इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अल्पसंख्यकों की भाषा में हो।

S.D. COLLEGE OF EDUCATION KNOWLEDGE VISION SUPREME ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

(iii) भाषायी अल्पसंख्यकों द्वाराचलाए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों का शिक्षण स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता है इसके लिए सरकार वित्तीय या अन्य सहायता से विकास पर ध्यान देना जरूरी है।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाने वाली उच्चतर माध्यमिक शालाओं को स्वीकृति प्रदान करने में शूतों में ढील होनी चाहिए।

(v) भाषायी अल्पसंख्यकों की कक्षा कोई निजी तौर पर प्रारम्भ करना चाहता है तो उन्हें इस की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

(vi) अनुमति देने की प्रक्रिया सहज, सुगम हो जिससे दो महीने के भीतर अल्पसंख्यों के निजी स्कूल खोलने सम्बन्धी कार्य कही से उन्हें स्वीकृति प्राप्त हो सके।

उच्च शिक्षा:

1.उच्च कक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

2.हिन्दी आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी तथा विभिन्न विदेशी भाषाओं के विकास को भी आवश्यकत माना गया।

3. राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रावधान होना चाहिए।

4.उच्च शिक्षा के लिए मौलिक लेखन, पुरानी लिपियों, संस्करणों-विश्वकोशों, शब्दकोशों ज्ञानवर्धक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए स्वयं संगठनों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का परामर्श भी ध्यान में दिलाया गया।

पी० ओ० ए० ने सुझाव दिया कि भारत में भाषायी सर्वेक्षण अतिआवश्यक है ताकि भाषाओं के विकास का पता चले आने वाले समय इस ओर कार्यक्रम बना के प्रमुख भाषाओं के विकास को यकीनी बनाया जा सके।

उपर्युक्त आधार पर कहा जा सकता है कि संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 जिसे पी० ओ० ए० 1992 कहा गया है. में भाषाओं के विकास तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों के लिए विभिन्न नीतिगत

मानकों को तैयार करने हेतु एक विस्तृत रणनीति ही इसमें त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने अथवा मातृभाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय पाठय-चर्या 2005

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के लिए एन० सी० ई० आर० टी० की ओर से सामाजिक विचार-विमर्श किया गया। विद्यार्थियों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए जिससे उनका बोझ कम हो। यह बहुत ही व्यापक दस्तावेज बना। इसके लिए कुछ केन्द्रीय समिति एवं परिषदों की भी भागीदारी रही। राज्य सरकारों ने भी अगस्त 2005 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्या की रूपरेखा के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया और उस प्रतिवेदन के आधार पर विद्वतजनों ने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का पुर्नाविकोलन किया।

कमेटी की अध्यक्षता प्रो. यशपाल (पूर्व अध्यक्ष यू० जी० सी०) ने की। इस कमेटी में 35 सदस्यों के साथ एन० सी० आर० टी० के पाठ्य चर्या समूह के सदस्य भी सम्मिलित किए गए।

इसके लिए निर्देशित सिद्धांत निम्नलिखित थे-

1.स्कूल के बाहरी जीवन के अनुभवों के साथ ज्ञान को जोड़ना।

2. रटन्त प्रणाली को शिक्षण से अलग करना।

3. पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के पूर्ण विकास के अनुसार बनाना जिसमें पाठ्य-पुस्तक केन्द्रिता न हो।

4.परीक्षाओं में परितर्वन की आवश्यकता जिस को कक्षा-कक्ष के जीवन के साथ जोड़ना ।

भाषा सम्बद्ध त्रिभाषीय सूत्रः

1.विद्यालयों में निर्देशन का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।

2.यदि प्रादेशिक भाषा सीखने वाले की मातृभाषा नहीं है तो भी शिक्षा के पहले दो वर्ष मातृ-भाषा में ही होने चाहिए।

3. प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी त्रिभाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ेंगे।

4 माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थी राज्य की भाषा के साथ अंग्रेज़ी भी पढ़ेगे।

5.अहिन्दी भाषी प्रदेश में विद्यार्थी हिन्दी सीखते हैं। हिन्दी भाषी प्रदेश में ये भाषा सीखते हैं जो उनके क्षेत्र की नहीं होती। इन के साथ संस्कृत का अध्ययनरूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6.उच्च विद्यालय में एक कलासिकल भाषा भी लागू हो सकती है और उई विद्यालय में विदेशी भाषा हो सकती है।

<u>द्वितीय भाषा शिक्षण (अंग्रेजी)</u>

2005 के पाठ्य चर्या के अनुसार द्वितीय भाषा शिक्षण की कमियों को समक्ष रखा कि शिक्षक में

द्वितीय भाषा में प्रशिक्षण की कमी से विद्यार्थी लाभ से वंचित रहते हैं। क्योंकि अध्यापक में ही मौलिक शिक्षण निपुणताओं की कमी रहती है। ये विद्यार्थियों को कल्पनाशील एवं खोजपूर्ण बनाने में असफल रहते हैं।

इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए।

i) विद्यार्थियों को अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप देने के लिए कहा जाना चाहिए।

ii) विद्यार्थियों को अतिरिक्त पाठ्य-वस्तु पढ़ने के लिए कहा जाए। वे कविताएं कहानियों से भाषा को सम्पुष्ट बना सके।

iii) द्वितीय भाषा शिक्षण (अंग्रेजी) कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य, ढंग, विषय-सामग्री इत्यादि बदलते है।

iv)अंग्रेजी भाषा को कक्षा प्रथम से ही विषय के रूप में पढ़े।

v) यदि हम अगले पांच वर्ष में अंग्रेजी शिक्षण में सफलता प्राप्त करने योग्य नहीं होते। तो हमें सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बनाने की मांग पर विचार किया जा सकता है।

अन्य सुझाव

1, प्रत्येक विद्यार्थी में बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

2.आदिवासी भाषाओं सहित विद्यार्थियों की मातृभाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया।

3.भाषाओं के शिक्षण में सुनना पढ़ना लिखना बोलना क्रियाएँ पाठ्य चर्या के सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति में भूमिका निभाती है इसलिए इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार होना चाहिए।

S.D.
S.D. COLLEGE OF EDUCATION, BNL.
KNOWLEDGE IS VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम